

दिनांक-16.09.2016 को सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति – उपस्थिति सूची के अनुसार।

बैठक की कार्यवाही –

दिनांक-16.09.2016 की बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई। इस बैठक का आयोजन दिनांक-8.09.2016 के क्रम में आयोजित किया गया।

2- सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनु० जनजाति के विकास हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा स्वीकृत योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। योजनावार सूची निम्न प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजनावार उपलब्ध राशि।

(i) अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA TSP)

क्रमांक	योजना का नाम	योजना में उपलब्ध राशि(राशि रू० लाख में)
1	जगरुकता कार्यक्रम	32.00
2	औषधि पौधों की खेती	50.00
3	दुध उत्पादन	315.76
4	कुक्कुट उत्पादन	162.60
5	मछली पालन	57.90
	कुल	618.26
6	कौशल विकास (2014-15 में 150.00 लाख रू० एवं 2015-16 में 750.00 लाख रू०)	900.00

(ii) वनबंधु कल्याण योजना (VKY)

क्रमांक	योजना का नाम	योजना में उपलब्ध राशि(राशि रू० लाख में)
1	आवासीय पिछवाड़े में मछली पालन (मलेरिया उन्मुलन एवं पिछवाड़े में मछली पालन)	180.00
2	वनाधिकार अधिनियम के लाभान्वितों के लिए	25.00
3	स्थानीय हाटबजार	50.00

4	सम्पूर्ण विद्युतीकरण	160.00
5	जनजातीय दवा एवं आयुर्वेद	25.00
6	अनु० जनजाति बाहूल्य क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर में शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण	10.00
7	स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप गाँव के लिए सिंचाई सुविधा का परिवर्धन/सिंचाई की सहायता हेतु नलकुप(सरकारी नलकुप)	110.00
8	कौशल विकास योजना के अन्तर्गत होटल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, पारामेडिक्स, नर्सिंग, कम्पाउण्डर हेतु	200.00
	कुल	760.00


उपरोक्त योजनाओं में से संबंधित विभाग यथा दुध उत्पादन हेतु कुक्कुट उत्पादन हेतु जीविका, दुध उत्पादन तथा मछलीपालन हेतु पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंधित निदेशालय (पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन) के पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि वर्ष 2015-16 में उपरोक्त उपलब्ध राशि के अन्तर्गत अनु० जनजाति के लिए परियोजना प्रस्ताव विभाग के माध्यम से अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को एक सप्ताह में भेजा जाए। परियोजना प्रस्ताव में भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड एवं ईकाई लागत के आधार पर या राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड एवं ईकाई लागत के अनुसार दिया जाए।

2- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनु० जनजाति के बहुमुखी विकास हेतु अनु० जनजाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (SCA to TSP) एवं संविधान की धारा 275(1) के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाना है। संबंधित योजनाओं की सूची बैठक में उपलब्ध कराते हुए अनुरोध किया गया कि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड एवं ईकाई लागत के आधार पर परियोजना प्रस्ताव तैयार कर भेजी जाए।

3- संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी/पदाधिकारी से यह भी अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार के द्वारा संचालित किए जा रही विशेष योजनाओं की Success Stories उपलब्ध कराई जाए ताकि भारत सरकार के द्वारा आयोजित होने वाले बैठक में राज्य सरकार की उपलब्धि को दिखाया जा सके।


4- अनु० जाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA to SCSP) के तहत भी शशि उपलब्धता के संबंध में बताया गया तथा संबंधित विभाग, कम्फेड, जीविका के प्रतिनिधि से दूध उत्पादन, मछली पालन, कुक्कुट पालन आदि में भी परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।



(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव,

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: सं०सं०-०६/निदे०-VKY-टी०-२१-०३/२०१०-५५३५ पटना, दिनांक- 26.09.16
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/उर्जा
विभाग/पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, पशुपालन/निदेशक, मत्स्य संसाधन,
बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना/परियोजना निदेशक, जीविका, पटना/मिशन
निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव,

ज्ञापांक: सं०सं०-०६/निदे०-VKY-टी०-२१-०३/२०१०-५५३५ पटना, दिनांक- 26.09.16
प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव,